सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 59/2010

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – ब्यावर खास

1– श्री किस्तुरचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल
2– श्री नेमीचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल ––मृतक–––
2/1– श्रीमति आशादेवी बैवा श्री नेमीचन्द
2/2– श्री दिलीप पुत्र नेमीचन्द
2/3– श्री सुनील पुत्र नेमीचन्द
2/4– श्री कपिल पुत्र नेमीचन्द
2/5– कोमल वयस्क पुत्री स्व0 नेमीचन्द जी
3– श्री राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व0 भंवरलाल जी
समस्त जाति जांगडा ब्राहम्ण निवासी रहमान खेडा तहसील ब्यावर जि0अजमेर

––––––वादीगण

ब ना म

1– श्री लालचन्द पुत्र श्री सुरजमल जाति माली
2– श्री बुद्धाराम पुत्र श्री सुरजमल जाति माली
निवासी रहमानखेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
3– श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
4– श्री सुगनचन्द पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
5– श्री सूरजकरण पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
6– श्री मोहनलाल पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
7– श्री हेमराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
8– श्री शिवराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
9– श्री उगमराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
10– रामप्यारी पुत्री श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
11– विमला पुत्री श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
निवासी रहमानखेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
12– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील परिसर, ब्यावर
13– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय ब्यावर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एंव धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 14.6.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ब्यावर खास में प्रस्तुत हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा रहमानखेडा पटवार हल्का ब्यावर खास तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 279 हाल खसरा नंबर 308 रकबा 00–09–00, 279 हाल खसरा नंबर 309 रकबा 08–12–00, साबिक खसरा नंबर 399 हाल खसरा नंबर 451 रकबा 09–17–00 स्थित है। उक्त विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार पुखराज पुत्र फतेहलाल थे वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगातय 11 विवादित आराजी के उपकृषक के रूप में काश्त करते थे जो कि पूर्व खातेदार श्री पुखराज द्वारा कोई विवादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री सुरजमल पुत्र श्री तेजा माली, भंवरलाल पुत्र श्री प्रभू, धुकल पुत्र श्री काना जाति जांगडा ब्राहम्ण को बांटा पर दे रखी थी बांटा अनुसार उपरोक्त व्यक्ति जो विवादित आराजी में पैदावार होती थी उसका आधा हिस्सा स्वंय रखते व आधा हिस्सा पुखराज पुत्र फतेहलाल को दे देते थे । उक्त आराजी के पूर्व खातेदार श्री पुखराज जी महाजन बहैसियत खुद बहैसियत मैनेजर

.....लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

व कर्ता खानदान खुद बहैसियत वारीस काबिज जायदाद फतेहलाल सम्पूर्ण आराजी में 1 हिस्सा वादीगण के पिता भंवरलाल जी को बेचान कर दिया व 1 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 श्री सुरजमल पुत्र तेजा माली को बेचान कर दिया व 1 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के पिता स्व0 श्री धुकल पुत्र श्री काना जी जाति जांगडा ब्राहम्ण को बेचान दिनांक 07.08.1959 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वजो को कब्जा संभला दिया जब से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 विवादित आराजी पर कब्जे काश्त करते आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 सुरजमल पुत्र श्री तेजा माली ने अपना उक्त आराजी में जो हक व हिस्सा था को दिनांक 07.03.1961 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के वादीगण के पिता स्व0 श्री भंवरलाल पुत्र श्री प्रभु को अपना एक हिस्सा बेचान कर कब्जा व खातेदारी हकूक वादीगण के पिता को कर दिया तब से वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन उक्त बयनामा के आधार पर विवादग्रस्त आराजी का वादीगण के पिता स्व0 भंवरलाल के हक में नामान्तकरण नही हो सका और समस्त रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज चली आती रही। जो गलत अंकन है जो दुरूस्त होने योग्य है। साबिक खसरा नंबर 279 हाल खसरा नंबर 308 की 9 बिस्वा भूमि ही विवादग्रस्त भूमि है व साबिक खसरा नंबर 278 के हाल खसरा नंबर 308 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि विवादित आराजी नही है, विवादग्रस्त आराजी बाबत प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के हक व हिस्से बाबत किसी प्रकार का वादीगण को एतराज नही है। सेटलमेंट के बाद वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 बनी जिसका खसरा नंबर 308 है जिसमें 9 बिस्वा भूमि जो साबिक खसरा नंबर 279 से बनी उसको केवलमात्र वादीगण के पिता स्व0 भंवरलाल पुत्र श्री प्रभु व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 के पिता श्री धुकल के नाम अंकित कर दी जो कि गलत व गैर कानूनी तरीके से की गई चूंकि सम्पूर्ण आराजी में वादीगण का 2/3 हिस्सा है। इसी प्रकार वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में साबिक खसरा नंबर 399 के बने हाल खसरा नंबर 451 रकबा 09–17–00 व खसरा नंबर 309 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा में सुरजमल माली 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि सुरजमल ने तो अपना हक हिस्सा दिनांक 07.03.1961 को वादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र प्रभु को बेचान कर दिया व मौके पर कब्जा भी करवा दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने स्वंय राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती करके वादीगण व उसके पिता की अज्ञानता व अनपढ होने का बैजा फायदा उठाकर राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम फोती दाखिल खारीज हो जाने के कारण दिनांक 25.05.2010 को विवादित आराजी पर आये और वादीगण को एलानिया धमकी दी, कि विवादग्रस्त आराजी हमारे नाम है और हम विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा करेंगे तथा बेचान व हस्तांतरण कर देंगे तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कहा कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को आप दोनो के पिता जी सुरजमल माली ने सन् 1961 में ही हमारे पिता भंवरलाल जी को बेचान कर कब्जा संभला दिया था। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने धमकी दी कि विवादित भूमि हमारे नाम है, और हम उन्हें बेचान एंव हस्तांतरण कर उनका कब्जा भी दूसरो को सुपुर्द करवा देगे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर वादीगण को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नही करे तथा ना ही बेचान हस्तांतरण आदि करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 10, 11 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

.....लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्रतिवादीगण संख्या 3, 5, 7 से 9 ने वादीगण के वाद को नकारते हुये जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है, कि विवादित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कोई कब्जा नही रहा बल्कि वास्तविकता में उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने यदि कोई भूमि बेचान की भी है, तो वह गलत रूप की है, तथा उसके वादीगण को उक्त आराजीयात पर काबिज नही हुये अतः भी वादीगण 2/3 हिस्से का कोई अधिकार किसी भी रूप में नही माना जा सकता है। तथा वादीगण के हक में हुये बेचाननामे की निष्प्रभावी व शून्य दस्तावेज है। वादीगण ने बदनियतीवश उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को भी नाजायज हैरान परेशान करने तथा उनके कब्जेशुदा आराजी में लगाई गई रांशि को भी हडप कर जाने की बदनियती से ही अंकित किये है, जबकि प्रतिवादीगण द्धारा उक्त आराजी में समय समय पर काफी समय, श्रम, एंव धन, व्यय कर उक्त आराजी को काफी उन्नत एंव उपजाऊ बनाया है। तथा उसमें काफी विकास एंव विस्तार किया है, जिसकी वजह से उक्त आराजी की कीमतो में भी बेशुमार बढोतरी हुई है तथा उक्त आराजी की बढती किमतो तथा उसमें हो रही बेशुमार उन्नति की वजह से ही वादीगण की नियत खराब हो गई है। वादीगण क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय में उपस्थित नही आये है, बल्कि सर्वथा ही गलत एंव झूंठे तथ्यो के आधार पर वादग्रस्त भूमियों पर नाजायज कब्जा करने की नियत से उपस्थित आये है। वादीगण के हक में कोई मौजुदा वाद का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को धारा 80 जाब्ता दीवानी का दो माह का नोटिस नही दिया है। तथा प्रतिवादीगण को हैरान व तंग परेशान की करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

तहसीलदार ब्यावर ने बिन्दुवार रिपोर्ट में वादी किस्तुरचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण के पिता भंवरलाल वल्द प्रभु कौम जांगड़ा ब्राह्मण ने संयुक्त रूप से खातेदार पुखराज वल्द फतेहलाल जाति महाजन ओसवाल निवासी ब्यावर से जरिए पंजीबद्ध बेचाननामा से दिनांक 12.08.1959 को ग्राम रहमानखेड़ा के गत खसरा नम्बर 279 रकबा 09–01–00 व खसरा नम्बर 399 रकबा 09–17–00 कित्ता–2 रकबा 18–18–00 उसका निस्क रकबा 09–09–00 बमय हक शामलात देह सूरजमल वल्द तेजा माली एक हिस्सा, धूकल वल्द काना जांगड़ा ब्राह्मण एक हिस्सा व भंवरलाल वल्द प्रभु जांगड़ा ब्राह्मण एक हिस्सा यानि बहिस्सेबराबर खरीद किया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 279, 399 कित्ता 3 रकबा 18–18–00 का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से खरीदा है। इसी प्रकार भंवरलाल वल्द प्रभु कौम जांगड़ा ब्राह्मण ने जरिए रजिस्ट्री दिनांक 20.04.1961 को ग्राम रहमानखेड़ा के गत खसरा नम्बर 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 कित्ता 2 रकबा 18–18–00 इसका आधा हिस्सा 09–09–00 बीघा में से 1/3 हिस्सा खातेदार सूरजमल वल्द तेजा माली निवासी रहमानखेड़ा से खरीद की है जो सूरमल वल्द तेजा माली द्वारा पूर्व में दिनांक 12.08. 1959 को संयुक्त रूप से पुखराज पुत्र फतेहलाल महाजन से खरीद की थी। इस प्रकार भंवरलाल वल्द प्रभु जांगड़ा ब्राह्मण ने दिनांक 12.08.1959 को 09–09–00 का 1/3 हिस्सा 03–03–00 व दिनांक 20.04.1961 को सूरजमल माली का 1/3 हिस्सा 03–03–00 कुल 06–06–00 भूमि खरीद की है। दिनांक 12.08.1959 को कुल भूमि 09–09–00 में 1/3 हिस्सा 03–03–00 धूकल वल्द काना के हिस्से की भूमि बनती है। जमाबन्दी चौसाला संवत् 2024–27 के खाता संख्या 69 में खसरा नम्बर 279 रकबा 09–01–00 व खसरा नम्बर 399 रकबा 09–17–00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 18–18–00 सूरजमल वल्द तेजा माली, भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द काना कौम जांगड़ा ब्राहमण सा. देह उपकृषक के नाम दर्ज है जिसमें दोनों बेचाननामों का अमल दरामद किया गया परन्तु हिस्से अंकित नहीं किये गये। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 100 में हाल खसरा नम्बर 309 रकबा 08–12–00 व खसरा नम्बर 451 रकबा 09–17–00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 18–09–00

.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

सूरजमल वल्द तेजा माली 1/2 हिस्सा व भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द काना ब.हि. 1/2 हि. कौम जांगड़ा ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 जिसमें गत खसरा संख्या 279 का 00–09–00 रकबा शामिल है यानि खसरा संख्या 405 रकबा 04–05–00 गत खसरा नम्बर 279 में से 00–09–00 व खसरा नम्बर 278 में से 03–16–00 रकबा शामिल होकर बनता है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 08–12–00 व खसरा नम्बर 451 रकबा 09–17–00 कित्ता 2 रकबा 18–09–00 में भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द काना हि. 1/2 अंकित किया गया जो गलत है जबकि भंवरलाल वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा व धूकल वल्द काना का 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। बेचाननामें व राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम रहमानखेड़ा के हाल खसरा नम्बर 451 रकबा 09–17–00 जमाबन्दी चौसाला संवत् 2073–76 के खाता संख्या 74 में अंकित खातेदार किस्तूरचन्द नेमीचन्द राजेन्द्रप्रसाद पि. भंवरलाल व जगदीशप्रसाद सुगनचन्द सूरजकरण मोहनलाल हेमराज शिवराज उगमराज पि. धूकल ब.हि.ब.1/2 हि0 के स्थान पर वादी संख्या 1–3 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1–11 के नाम 1/6 हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 में से 00–09–00 पर चालू जमाबन्दी खाता संख्या 18 में अंकित खातेदारान के स्थान पर किस्तूरचन्द राजेन्द्रप्रसाद पि. भंवरलाल व दिलीप सुनिल कपिल पि. नेमीचन्द कोमल पुत्री नेमीचन्द आशा पत्नि नेमीचन्द हि. 2/3 व जगदीश प्रसाद सुगनचंद सूरजकरण मोहनलाल हेमराज शिवराज उगमराज पित्र धूकल हि. 1/3 के नाम हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है।

लोक अदालत में मज़में आम के समक्ष वादी संख्या 1, 2/1 तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7, 8 स्वयं उपस्थित। जिन्होंने कथन किये हैं कि उक्त प्रकरण का निस्तारण पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात के अनुसार किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 07.08.1959 से साबिक खसरा संख्या 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 कुल रकबा 18–18–00 में से 09–09–00 विक्रेता पुखराज वल्द फतेहलाल महाजन ओसवाल साकिन ब्यावर ने क्रेता सूरजमल वल्द तेजा 1 हिस्सा, धूकल वल्द कानाजी जांगड़ा ब्राह्मण 1 हिस्सा व श्री भंवरलाल वल्द प्रभु कौम जांगड़ा ब्राह्मण को बेचान किया जाना पाया गया। इसी प्रकार पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 07.03.1961 से खसरा संख्या 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 कुल रकबा 18–18–00 का 1/2 हिस्सा 09–09–00 में से 1/3 हिस्सा श्री सूरजमल वल्द तेजा कौम माली साकिन रहमानखेड़ा ने भंवरलाल वल्द प्रभु जांगड़ा ब्राहम्ण को बेचान किया जाना पाया गया। ग्राम रहमानखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2016–19 के खाता संख्या 31 में अंकित साबिक खसरा संख्या 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 सूरजमल वल्द तेजा कौम माली साकिन देह का. शि. मुद्दत 2 साल बांटा 1/5 दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रहमानखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2020–23 के खाता संख्या 67 में अंकित साबिक खसरा संख्या 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 सूरजमल वल्द तेजा माली व भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द काना कौम जांगड़ा ब्राह्मण सा. देह मु. 2 साल दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रहमानखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2024–27 के खाता संख्या 69 में अंकित साबिक खसरा संख्या 279 रकबा 09–01–00, 399 रकबा 09–17–00 सूरजमल वल्द तेजा माली व भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द काना कौम जांगड़ा ब्राह्मण सा. देह उपकृषक मु. 2 साल दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 279 रकबा 09–01–00 के नए वर्तमान खसरा नम्बर 308 रकबा 00–09–00, 309 रकबा 08–12–00 बने हैं। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 399 रकबा 09–17–00 के नए वर्तमान खसरा नम्बर 451 रकबा 09–17–00 बने हैं। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 100 में हाल खसरा नम्बर 309 रकबा 08–12–00 व खसरा नम्बर 451 रकबा 09–17–00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 18–09–00 सूरजमल वल्द तेजा माली 1/2 हिस्सा व भंवरलाल वल्द प्रभु व धूकल वल्द

.....लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

काना ब.हि. 1/2 हि. कौम जांगड़ा ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज होना पाया गया जो कि गलत दर्ज हुआ है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 50 में अंकित खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 भंवरलाल पुत्र प्रभु धूंकल वल्द काना हि0 8/9 धूकल वल्द काना 1/9 हि0 कौम जांगड़ा ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम अंकित है। जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 106 में अंकित खसरा संख्या 309 रकबा 08–12–00, 451 रकबा 09–17–00 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना पाया गया। उक्त बेचाननामों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. सूरजमल पुत्र श्री तेजा ने अपने हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजियात का बेचान वादीगण के पिता स्व. श्री भंवरलाल को किया जाना पाया जाता है, इसके बावजूद जमाबन्दियों में सूरजमल व सूरजमल की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राजात् है तथा वादीगण स्वयं को स्व. सूरजमल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादग्रस्त आराजियात में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त साबिक खसरा संख्या 279 जिसके हाल खसरा संख्या 308 रकबा 00–09–00 बने हैं तथा साबिक खसरा संख्या 378 का भी हाल खसरा संख्या 308 रकबा 03–16–00 बना है। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में दोनों खसरा संख्या 308 का रकबा जोड़कर कुल रकबा 04–05–00 अंकित कर दिया गया जबकि 00–09–00 बिस्वा खरीदशुदा आराजी है एवं उक्त 9 बिस्वा में वादीगण 2/3 के हिस्सेदार पाए जाते हैं तथा सम्पूर्ण खसरा संख्या 308 में से 00–09–00 बिस्वा पृथक करवाकर वादीगण उनके खरीदशुदा हिस्से अनुसार स्वयं को खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रहमानखेड़ा पटवार क्षेत्र ब्यावरखास के खसरा संख्या 309 रकबा 08–12–00 किस्म आबी 3, 451 रकबा 09–17–00 किस्म बारानी 2 में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त खसरान् से विलोपित करते हुए उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार वादीगण को कुल 2/3 हिस्से का हिस्सेदार व खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11 व भंवरी पत्नि स्व. धूकल का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 किस्म आबी 2 में से रकबा 00–09–00 बिस्वा में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 में से 00–09–00 बिस्वा भूमि का पृथक से मिन नम्बर अंकित करते हुए तथा पृथक से खाता कायम करते हुए वादीगण को 2/3 हिस्से व जगदीश प्रसाद सुगनचंद सूरजकरण मोहनलाल हेमराज शिवराज उगमराज पिता धूकल भंवरी पत्नि स्व. धूकल रामप्यारी विमला पुत्रियां धूकल हि. 1/3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त खसरा नम्बर 308 का शेष रकबा यथावत रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के हिस्से में आई भूमियों में दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमियों का बेचान हस्तांतरण आदि नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – ब्यावरखास

राजस्व वाद संख्या 59/2010

1– श्री किस्तुरचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल
2– श्री नेमीचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल ––मृतक–––
2/1– श्रीमति आशादेवी बैवा श्री नेमीचन्द
2/2– श्री दिलीप पुत्र नेमीचन्द
2/3– श्री सुनील पुत्र नेमीचन्द
2/4– श्री कपिल पुत्र नेमीचन्द
2/5– कोमल वयस्क पुत्री स्व0 नेमीचन्द जी
3– श्री राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व0 भंवरलाल जी
समस्त जाति जांगडा ब्राहम्ण निवासी रहमान खेडा तहसील ब्यावर जि0अजमेर
––––––वादीगण

ब ना म

1– श्री लालचन्द पुत्र श्री सुरजमल जाति माली
2– श्री बुद्धाराम पुत्र श्री सुरजमल जाति माली
निवासी रहमानखेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
3– श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
4– श्री सुगनचन्द पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
5– श्री सूरजकरण पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
6– श्री मोहनलाल पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
7– श्री हेमराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
8– श्री शिवराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
9– श्री उगमराज पुत्र श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
10– रामप्यारी पुत्री श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
11– विमला पुत्री श्री धुकल जाति जांगडा ब्राहम्ण
निवासी रहमानखेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
12– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील परिसर, ब्यावर
13– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय ब्यावर
–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एंव धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री शक्तिसिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री कमल कुमार लोढा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.12 व 13 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 59/2010
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 14.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़मे आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रहमानखेड़ा पटवार क्षेत्र ब्यावरखास के खसरा संख्या 309 रकबा 08–12–00 किस्म आबी 3,

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018"

451 रकबा 09–17–00 किस्म बारानी 2 में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त खसरान् से विलोपित करते हुए उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार वादीगण को कुल 2/3 हिस्से का हिस्सेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11 व भंवरी पत्नि स्व. धूकल का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 किस्म आबी 2 में से रकबा 00–09–00 बिस्वा में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा संख्या 308 रकबा 04–05–00 में से 00–09–00 बिस्वा भूमि का पृथक से मिन नम्बर अंकित करते हुए तथा पृथक से खाता कायम करते हुए वादीगण को 2/3 हिस्से व जगदीश प्रसाद सुगनचंद सूरजकरण मोहनलाल हेमराज शिवराज उगमराज पिता धूकल भंवरी पत्नि स्व. धूकल रामप्यारी विमला पुत्रियां धूकल हि. 1/3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त खसरा नम्बर 308 का शेष रकबा यथावत रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के हिस्से में आई भूमियों में दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमियों का बेचान हस्तांतरण आदि नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे ।

आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर